न्यायालय आर्बिट्रेटर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस. संभागीय आयुक्त, अजमेर)

परिवाद संख्या–755/2020/आर्बिटेशन/अजमेर

श्री चन्दकरण पुत्र श्री बदलू सिंह, जाति गढरिया, निवासी – एच.एम.टी. ब्यावर रोड, अजमेर।

परिवादी

बनाम

1 प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ।
2 डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया जरिये मुख्य परियोजना अधिकारी, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर, कुन्दन नगर चौराहा, अजमेर।

अप्रार्थीगण

परिवाद अन्तर्गत धारा 20 एफ(6) भारतीय रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2011 व 27.10.2017 जो सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित किया गया है।

उपस्थितः– 1– श्री लेखू मंघानी, परिवादी के अभिभाषक
2– श्री विभौर गौड प्रत्यर्थी संख्या 2 के अभिभाषक

निर्णय

दिनांक..........................

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) अजमेर के निर्णय दिनांक 14.07.2011 जो ग्राम थोक मालियान में स्थित भूमि अवाप्ति के बारे में पारित किया गया है, के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यथीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख/रेकॉर्ड तलब किया गया। परिवाद में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने दिनांक 14.07.2011 को जो मुआवजा बनाया गया वह कृषि भूमि मानकर मुआवजा तय किया गया है जबकि सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य

रिपोर्ट यह दर्शाती है कि मौके पर आवासीय भवन निर्मित था, इस आधार पर मुआवजा आवासीय दर से बनना चाहिए जो कि नही बनाया गया। अतः परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा आवासीय बाजार दर से दिलवाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त बहस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिये कि परिवादी ने कृषि भूमि का रूपान्तरण आवासीय नहीं कराया है इसलिए उसे आवासीय दर से मुआवजा नहीं दिया गया। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार अवाप्त की गई भूमि की किस्म कृषि दर से मुआवजा दिया गया है जो उचित है। ये दरें सरकार द्वारा तय की जाती है जिसके आधार पर मुआवजा तय किया जाता है। सहायता राशि दी जा चुकी है। इस प्रकार प्रार्थी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

मैने दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अवाप्त शुदा भूमि कृषि भूमि है जिसे रूपान्तरण के नियमों के तहत परिवादी ने किस्म परिवर्तन कराया हो ऐसा कोई आदेश/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है इसलिए भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने जो कृषि दर से मुआवजा तय किया गया है वह उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर परिवादी का यह परिवाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर